(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 02/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 07.01.2025

निर्णय दिनांक : 21.02.2025

1. अर्जुन पुत्र लादू, जाति यादव, निवासी शिवनगर, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0

...........**प्रार्थी**

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0
2. मोहनलाल पुत्र भागीरथमल यादव
3. नार्थी देवी पत्नी हनुमानसहाय
4. शान्ति देवी पत्नी भागीरथमल
5. सावत्री पुत्र भागीरथमल
6. कमलेश पुत्र भागीरथमल
7. ख्यालीराम पुत्र भागीरथमल

समस्त जाति यादव निवासीयान शिवनगर, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0

...........**अप्रार्थीगण**

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पावटा, वाद संख्या 230/2021 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री जितेन्द्र कुमार रावत अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री नरेश कुमार यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 02 व 07 की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रकरण उनवानी मोहनलाल वगै0 बनाम रामकुंवार वगै0 मुकदमा नम्बर 230/2021 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट एक बाहुबल व धनबल से युक्त है एवं उनके द्वारा ऐसी एलानिया धमकी दी गयी है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (पावटा) से उनकी सांठ–गांठ हो गयी है, अब हम वक्त प्रकरण में हमारे पक्ष में फैसला करवायेंगे। प्रार्थीगण की इस एलानिया घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के कारण उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही होने की वजह से जिले के अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया।
5. अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश किये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली का निष्पक्ष विचारण कर प्रकरण में अपर माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 09.10.2024 की पालना में तहसीलदार पावटा द्वारा पुनः मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट मंगाये जाने के आदेश प्रदान किये है, यदि उक्त पत्रावली को कहीं अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो पक्षकारान के विधिक अधिकारों का हनन होगा व पक्षकारान के समय एवं धन की हानि होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।
6. उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/15 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढंत, निराधार व बेबूनियाद है। प्रकरण के निस्तारण हेतु विधिवत कार्यवाही जैरकार है, फिर भी यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

7. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़